



2026:AHC:62469

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10111 / 2026

तिरमल @ रूपकिशोर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : चंचल कुमारी, दिनेश यादव

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. श्री यश टंडन एवं श्री राजेश कुमार, अधिवक्तागण, ने सूचनादाता की ओर से अपना पर्चा दाखिल किया। उसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.पी. त्रिपाठी तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री यश टंडन को सुना गया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 428 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 105, 115(2), 352, 351(3), 329(3), 191(2), 191(3), 190, थाना जुनावाई, जनपद संभल में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। घटना कथित रूप से 06.11.2025 को घटित हुई। प्राथमिकी 15.11.2025 को दर्ज की गई।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह विलंब अभियोजन प्रकरण के लिए घातक है। अन्वेषण के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) हटाई गई और धाराएँ 105, 191(2), 191(3) तथा 190 जोड़ी गई। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अन्य ग्यारह नामजद अभियुक्तों एवं 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचनादाता के भाई पर हमला करने का आरोपी है। सूचनादाता का भाई 14.11.2025 को चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक को छः चोटें आईं। चोट संख्या 1 और 2 सिर पर थीं, जबकि शेष चोटें दाहिनी जाँघ, पेट के बाईं ओर, बाईं भुजा और सीने के दाहिनी ओर थीं। चिकित्सक की राय में मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोटों से उत्पन्न कोमा एवं शॉक था। आगे तर्क दिया गया कि आवेदक को अस्पष्ट एवं सामान्य भूमिका दी गई है। आवेदक को मुख्य अपराधी के रूप में नामित नहीं किया गया, जिसने सिर पर चोटें पहुँचाईं। इस चरण में आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारी साक्ष्य नहीं है। शपथ-पत्र के पैराग्राफ 35 में आवेदक के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की गई है। आवेदक 20.01.2026 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु उपरोक्त प्रस्तुतियों का अभिलेख से संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनकर और अभिलेख का अवलोकन करते हुए, इस न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्राथमिकी विलंब से दर्ज की गई। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अन्य ग्यारह नामजद अभियुक्तों एवं 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचनादाता के भाई पर हमला करने का आरोपी है। सूचनादाता का भाई 14.11.2025 को चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक को छः चोटें आईं। चोट संख्या 1 और 2 सिर पर थीं, जबकि शेष चोटें दाहिनी जाँघ, पेट के बाईं ओर, बाईं भुजा और सीने के दाहिनी ओर थीं। चिकित्सक की राय में मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोटों से उत्पन्न कोमा एवं शॉक था। आवेदक को अस्पष्ट एवं सामान्य भूमिका दी गई है। आवेदक को मुख्य अपराधी के रूप में नामित नहीं किया गया, जिसने सिर पर चोटें पहुँचाईं। इस चरण में आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारी साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक दो

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माह से अधिक समय से अभिरक्षा में रहा है और आरोप पत्र दाखिल हो जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र समापन की कोई आशा नहीं है, विशेषतः जब राज्य द्वारा यह कोई युक्तियुक्त आशंका नहीं व्यक्त की गई कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा या विचारण में विलंब करेगा या साक्षियों को डराएगा, प्रकरण की योग्यता पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

7. आवेदक - तिरमल @ रूपकिशोर, जो उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा इसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करे, इस शर्त के अधीन कि वह:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीखों पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा; तथा,
- (iii) अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

25 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

स्केटी/-